# बिहार सरकार
# जल संसाधन विभाग
# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
# तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया

**E-mail:- eetcdchakia@gmail.com**

भाडे पर वाहन हेतु अल्पकालीन पुर्न कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0– 02/2026–27

पत्रांक..........492.......................... /चकिया/दिनांक ..............23................./...........07........./2026

तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया के अंतर्गत 01 (एक) अदद वाहन स्कॉपियो (चालक सहित) कार्यपालक अभियंता हेतु योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाडे पर वितीय वर्ष 2026–27 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों /फार्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नामः– कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक 23.07.2026
3. कोटेशन जमा करने की तिथि :– दिनांक 01.08.2026 को 10:30 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराहन तक
4. कोटैशन प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया
5. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 01.08.2026 को 3:30 बजे अपराहन
6. कार्य विवरण एवं नियम एवं शर्त :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न

विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले एवं सूचना पट्ट पर देखे।

मौलिश्री
23.7.26

(ई0 मौलिश्री )
आई0 डी0– 5234
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया

23/07/26

## नियम एवं शर्तेः–

1. भाडे का वाहन विभागीय SOP के अनुसार मार्च 2026 तक लिया जाएगा। अवधि विस्तार की स्थिति मे एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जाएगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन की मॉडल 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालात में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा। चालक का पारिश्रमिक का भुगतान / आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजाता, टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना होना चाहिए। मालिक /फर्म का जी0एस0टी0 एवं आयकर निबंधन होना जरूरी है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूध्द किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टी करेंगे , जिसके आधार पर भाडे का भुगतान किया जाएगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन डाटा के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की सं0 घटाई एवं बढाई जा सकती है।
11. वाहन का माइलेज वास्तविक रूप से डाले गये डिजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति ली0 में से जो अधिक हो, मान्य होगा।
12. भुगतान विभाग से आवंटन होने के पश्चात किया जाएगा।
13. नहर संचालन अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनो समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन चालक / वाहन आपुर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य वयवसायिक कार्यो में नहीं करेगे।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 धंटा संबंधित पदाधिकारियो के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक /फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. इच्छुक वाहन मालिक /फर्म उक्त कमांक 01 से 14 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
17. एक से अधिक सामान्य न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशन दाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक / फर्म का चयन किया जायेगा।
18. शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
19. संबंधित कोटेशन को विभागीय साईट **www.wrd.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

मौलिश्री 23.7.26

(ई0 मौलिश्री )
आई0 डी0– 5234
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया

23/07/26

पत्रांक 492/चकिया/दिनांक 23/07/2026

प्रतिलिपिः– जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि विभागीय बेबसाईट पर प्रचारित एवं हिंदी के दो समाचार पत्रो में भी प्रकाशित करना चाहेंगे।

मौलिश्री 23.7.26

(ई0 मौलिश्री )
आई0 डी0– 5234
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया

23/07/26